प0 सं0–14/डी0एल0ए0 सिवान (सम्पर्क सड़क)–02/10–3014 /रा0, पटना–15, दिनांक–21/12/2012

**बिहार सरकार**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

**(भू–अर्जन निदेशालय)**

**–: अधिसूचना :–**

पत्रांक ................../ दिनांक ............................/

चूँकि बिहार राज्यपाल को प्रतीत होता है कि मौजा–सुघरी थाना नं0–354 परगना–गोआ अंचल–भगवानपुर हाट जिला–सिवान के अन्तर्गत महादलित परिवारों को सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर भूमि ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा–सुघरी नं0–354 के अन्तर्गत भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–बेस 0.23 एकड़ के बराबर होता है। जिसका अधिसूचित खेसरा निम्न प्रकार है :–

खेसरा नं0–336 अंश, 337 अंश एवं 338 अंश।

**अधिसूचित भूमि की चौहदी**

उत्तर– सड़क।

दक्षिण – 438 पूर्ण।

पूरब – 336 अंश, 337 अंश एवं 338 अंश।

पश्चिम– सिवाना मौजा राजापुर

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम–1,1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार भू–अर्जन अधिनियम II सन् 1984 के सुधार के अनुसार संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है। अर्जनाधीन भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में यथा उपबंधित या विर्निदिष्ट सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

समाहर्ता
सिवान।

सरकार के अवर सचिव
बिहार पटना।

पी0 टी0 ओ0

ज्ञाप सं0–14 / डी0एल0ए0 सिवान (सम्पर्क सड़क)–02 / 10–3014 / रा0, पटना–15, दिनांक–21 / 12 / 2012

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो–दैनिक समाचार पत्रो जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशन करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीध्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय सिवान को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा / समाहर्त्ता, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

19/12/12

**(नरोत्तम प्रसाद सिंह)**
सरकार के अवर सचिव।